

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनिया) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./26/2025 जी0सी0एम0एस0 2025/54

1. इमरान पुत्र अताउरहमान जाति मुस्लिम निवासी भिनाय तहसील भिनाय, जिला अजमेर
प्रार्थीगण

बनाम

1. कैलाश पुत्र धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी भिनाय तहसील भिनाय, जिला अजमेर
2. काना पुत्र धन्नालाल जाति कुम्हार निवासी भिनाय तहसील भिनाय, जिला अजमेर
3. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान् तहसीलदार महोदय भिनाय, तहसील भिनाय जिला अजमेर
(राज.)

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक:-25.03.2025

- उपस्थित :- 1. वकील प्रार्थी- श्री शम्मी मोहम्मद
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा भिनाय पटवार क्षेत्र भिनाय भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 68 में दर्ज खसरा नम्बर 1020 रकबा 0.46 हैक्ट कुल किता 01 कुल रकबा 0.46 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थी सं. 01 लगायत 02, द्वारा प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 03 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी बाबत् जारी नोटिस तामिलशुदा प्राप्त हुए। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 की नियमानुसार पत्रावली में तलबी उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 02 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पैरोकार सरकार द्वारा प्रश्नगत आराजीयात प्रार्थी की खातेदारी आराजीयात बताते हुए, प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होने की टिप्पणी पत्रावली आदेशिका पर अंकित की। पैरोकार सरकार द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति पेश नहीं की गई। पत्रावली वास्ते बहस नियत की जाती है। पत्रावली में बहस पत्रावली सुनी गई। वकील प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना-पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना-पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना-पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम भिनाय के खाता संख्या 68 संवत 2071-2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थीगणों की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहरा पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू-राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर मौजा भिनाय पटवार क्षेत्र भिनाय भू0अ0गि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 68 में दर्ज खसरा नम्बर 1020 रकबा 0.46 हैक्ट कुल किता 01 कुल रकबा 0.46 हैक्ट हेतू नायब तहसीलदार भिनाय को 500/- रु(पांच सौ रु) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी की उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.03.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।



(सुनील कुमार झिगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर
भिनाय (अजमेर)